कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/ 2520 /री0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 22 नवंबर, 2018

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

विधानसभा निर्वाचन-2018 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है । इन्दौर जिले की 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 28/11/2018 को विधानसभा चुनाव हेतु मतदान प्रक्रिया सम्पादित कराई जाना है । विभीन्न माध्यमों एवं आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में मतदाता परिचय-पत्र का उपयोग स्वयं मतदाता द्वारा किये जाने को आवश्यक करने तथा अन्य के द्वारा दुरूपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है । अतः प्राप्त जानकारियों के आधार पर मुझे इस बात का समाधान हो गया है कि इन्दौर जिले में विधान सभा निर्वाचन-2018 के दौरान सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को प्रदूषित होने से बचाने के लिए व स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मतदाता परिचय-पत्र किसी अन्य एवं अप्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में नहीं रहे ।

अतः मैं, **निशांत वरवड़े, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 26/11/2018 की सायंकाल 05.00 बजे से दिनांक 28/11/2018 को मतदान समाप्ति तक निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाता हूँ :-

1. यह कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मतदाता परिचय-पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मतदाता परिचय-पत्र, न तो अपने पास रखेगा तथा न ही किसी स्थान पर इकट्ठा रखेगा ।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 22/11/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(निशांत वरवड़े)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

URGENT

पृ0क्रमांक/ 2521 /री0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 22 नवंबर, 2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
8. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित कर, आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ।
9. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर(समस्त) ।
10. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/महू/ग्रामीण इन्दौर ।
11. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सेन्ट्रल कोतवाली/मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/खुड़ैल/कम्पेल/महू/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
12. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना क्षेत्र, जिला इन्दौर ।
13. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), महू/सांवेर/देपालपुर ।
14. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
15. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
16. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
17. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
18. थाना प्रभारी, थाना .... जिला इन्दौर ।

आ.नं. 817 24/11/18

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate,
District–Indore (M.P.)